न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय प्रथम), महराजगंज।

<u>सत्र परीक्षण संख्या 135/2023</u>

सरकार प्रति हरेन्द्र उर्फ हरिन्द्र आदि

मु0अ0सं0: 177/2022

धारा: 376डी,504,506 भा0दं0सं0

थाना: कोठीभार

जनपद: महराजगंज

<u>आरोप</u>

मैं फूल चन्द्र कुशवाहा, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या प्रथम, महराजगंज आप अभियुक्तगण हरेन्द्र उर्फ हरिन्द्र व लड्डू उर्फ कुतुबुद्दीन को निम्न आरोप आरोपित करता हूं:–

<u>प्रथमः</u> यह कि दिनांक 06.08.2022 को समय 09.00 बजे बहद स्थान ग्राम सिसवा खुर्द मस्जिद के कुछ दूरी पर गन्ने के खते में थाना कोठीभार, जनपद महराजगंज में आप लोगों ने वादिनी मुकदमा अनिता देवी को गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती सामूहिक बलात्कार किया, जो धारा–376डी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

<u>द्वितीयः</u> यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा अनिता देवी को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आप लोगों ने धारा–506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

<u>तृतीयः</u> यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा अनिता देवी को भददी–भददी गालियां दी। इस प्रकार आपने धारा–504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

<u>दिनॉक 16.08.2023</u>

(फूल चन्द्र कुशवाहा)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय),
कोर्ट नं0–1, महराजगंज

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया और समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

<u>दिनॉक 16.08.2023</u>

(फूल चन्द्र कुशवाहा)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय),
कोर्ट नं0–1, महराजगंज

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय प्रथम), महराजगंज।

सत्र परीक्षण संख्या 135/2023

सरकार प्रति हरेन्द्र उर्फ हरिन्द्र आदि

मु0अ0सं0: 177/2022

धारा: 376डी,504,506 भा0दं0सं0

थाना: कोठीभार

जनपद: महराजगंज

16.08.2023

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण हरेन्द्र उर्फ हरिन्द्र व लड्डू उर्फ कुतुबुद्दीन व्यक्तिगत मय अधिवक्ता उपस्थित है।

अभियुक्तगण के आरोप के बिन्दु पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने अपने मामले का कथन अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोपों का वर्णन करते हुये और यह बताते हुये आरम्भ किया कि वह अभियुक्तगण के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अभियुक्तगण हरेन्द्र उर्फ हरिन्द्र व लड्डू उर्फ कुतुबुद्दीन द्वारा धारा–376डी, 506, 506 भा0दं0सं0 का अपराध कारित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में पत्रावली पर साक्ष्य उपलब्ध है। अतः उक्त अभियुक्तगण के विरूद्व उपरोक्त धाराओं का आरोप विरचित किया जाय।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण हरेन्द्र उर्फ हरिन्द्र व लड्डू उर्फ कुतुबुद्दीन द्वारा धारा–376डी, 506, 504 भा0दं0सं0 का अपराध कारित किया गया है जिसके सम्बन्ध में पत्रावली पर साक्ष्य उपलब्ध है। अतः उक्त अभियुक्तगण के विरूद्व उपरोक्त धाराओं का आरोप विरचित किया गया है, जो अलग से प्रपत्र पर संलग्न है। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण किये जाने की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक .... को पेश हो। साक्षी जरिये समन तलब हो।

(फूल चन्द्र कुशवाहा)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय),
कोर्ट नं0–1, महराजगंज

Digitally signed by PHOOL CHANDRA KUSHWAHA
Date: 2023.08.16 17:18:38 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court